अशासकीय पत्र स0–1 / शा0 / 11 / 2020–1 / 105 / 2020 प्रथम आवटन

लखनऊ दिनांक – 05 अगस्त, 2020

अनुदान सं0–61

लेखाशीर्षक–3604001980301

आहरण एवं वितरण अधिकारी /
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–1880 / 33–3–2020–40 / 2020 दिनांक 01.08.2020 द्वारा विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–27 / 2020 / बी–2–135 / दस–2020–2 / 2019 दिनांक 13.07.2020(छायाप्रति संलग्न) में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की अनुदान सं0–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष ''3604–स्थानीय निकायों तथा पचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन'' के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 620000.00 लाख में से संलग्न आदेश सं0–आर0ई0–20 / बी–2–134 / दस–2020 दिनांक 13.07.2020 द्वारा किये गये पुनर्विनियोग के फलस्वरूप रू0–51667.00 लाख (रू0 पांच अरब सोलह करोड़ सरसठ लाख मात्र) में से कोविड–19 के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग से धनराशि **रू0 14950.00 लाख (रू0 एक अरब उन्चास करोड़ पचास लाख मात्र)** समस्त जिला स्वास्थ्य समितियों, उ0प्र0 को आवंटित किया जा रहा है–

क्र0सं0	निकाय	धनराशि(लाख रू0 में)
1	समस्त जिला स्वास्थ्य समितियों, उ0प्र0 हेतु	14950.00
योग		**14950.00**

(8) उपयुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है–

1– आवंटित की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का आहरण कर सीधे जिला स्वास्थ्य समितियों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा।

2– पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

3– कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में जमा की जायेगी।

4– योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला स्वास्थ्य समितियों का बैंक खाता तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

5– धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन / समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7– योजना प्रभारी तथा निदेशक, पचायतीराज उ0प्र0 आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्ष "3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–28–समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–79 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

संख्या–1 / शा0 / 11 / 1 / 2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र दिनांक 01.08.2020 के क्रम में।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 13.07.2020 के क्रम में।
6. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
12. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
13. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
15. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1 दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज–211001
16. उपनिदेशक (पं0) / योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को पत्र दिनांक 04.08.2020 के क्रम में।
17. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
18. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।